बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए लोक अदालत 10–11 दिसम्बर को

- दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के उपभोक्ताओं को लिए स्पेशल लोक अदालत
- जिला न्यायालय साकेत में कुल 12 अदालतें लगाई जाएंगी

नई दिल्लीः 6 दिसम्बर, 2016। उपभोक्ताओं के अनुरोध पर, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड –बीआरपीएल– ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी – डीएसएलएसए – के साथ मिलकर 10 और 11 दिसम्बर को बिजली चोरी के मामलों के तत्काल निपटारे के लिए, दो दिवसीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इसका आयोजन जिला न्यायालय साकेत में सुबह 10 बजे से होगा।

यह दो दिवसीय लोक अदालत, दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में रहने वाले बीआरपीएल उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को एक, वन–टाइम अवसर मुहैया कराएगी, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल तथा परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके। यहां बिजली की सीधी चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी–– दोनों तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा। ऐसे मामले जो किसी अदालत/ फोरम में लंबित हैं, उनका भी निपटारा यहां किया जाएगा और उन मामलों का भी, जिन्हें अब तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है।

जो उपभोक्ता लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे यहां खुद आ सकते हैं, या अपने वकील/ अधिकृत प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। इसके लिए, उन्हें अपने दस्तखत से वैध तरीके से अपने वकील/ प्रतिनिधि को अधिकृत करना होगा। साथ में, अपना आईडी प्रूफ और विवादित बिल भी भेजना होगा।

किसी भी अदालत/ फोरम/ कंपनी, आदि द्वारा पहले ही निपटाए जा चुके मामलों को यहां निपटारे के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बिजली चोरी मामलों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से यहां कुल 12 अदालतें अलाई जाएंगी। लोगों की सुविधा के लिए बीआरपीएल यहां 12 हेल्प डेस्क भी लगाएगी, जहां इस कार्य के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित बीआरपीएल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बीआरपीएल को उम्मीद है कि लोक अदालत को उपभोक्ताओं की ओर से अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पिछली छह स्पेशल लोक अदालतों के दौरान करीब 60 करोड़ रूपये से अधिक की बिजली चोरी के मामलों का निपटारा किया गया है।

लोक अदालत के दौरान मामलों के निपटारे के बाद, बीआरपीएल के निर्धारित एन्फोर्समेंट ऑफिसों में जाकर तय यानी सेटल्ड रकम का भुगातन करने के लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट मुहैया करा दिया जाएगा।

लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बीआरपीएल हर संभव कदम उठा रही है। तमाम माध्यमों से उपभोक्ताओं तक इस बारे में सूचना पहुंचाई जा रही है, जिनमें उन्हें पत्र/ नोटिस भेजने के अलावा, लोकप्रिय एफएम चैनलों की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

बीआरपीएल ने अपनी पर्यावरण–हितैषी नीतियों का ध्यान में रखते हुए, इसे एक हरित यानी ग्रीन लोक अदालत के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है। बीआरपीएल और डीएलएसए ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि यह लोक अदालत एक कागजविहीन यानी पेपरलेस लोक अदालत हो। गौरतलब है कि वहां फाइलों की आवाजाही नहीं होगी। बिजली चोरी के मामलों से संबंधित सभी प्रासंगिक कागजात वहां कंप्यूटरों पर उपलब्ध होंगे। इस कार्य के लिए वहां 24 कंप्यूटर रखे जा रहे हैं। इस दो दिवसीयस पेपरलेस लोक अदालत के दौरान, कागज की 30 हजार ए4 शीट्स बचने की उम्मीद है।

बीआरपीएल प्रवक्ता के मुताबिक, हम दक्षिण व पश्चिम दिल्ली के अपने उपभोक्ताओं से अपील करते हैं कि वे इस अनोखे अवसर का पूरा लाभ उठाएं और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का निपटारा करवाएं। यह उनके लिए सुनहरा मौका है। लोक अदालत उन्हें यह मौका उपलब्ध करा रही है कि वे अपने मामलों का परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा करवाएं। यह उनके लिए काफी समय लेने वाली व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से बचने का अवसर मुहैया करा रही है। साथ ही, यह उन्हें कानूनी ढंग से बिजली का कनेक्शन लेकर डिस्कॉम के बिलिंग नेटवर्क में आने का मौका भी उपलब्ध करा रही है।

प्रवक्ता के अनुसार, इस तरह की लोक अदालतें न सिर्फ उपभोक्ताओं व याचिकाकर्ताओं को तेजी से और परस्पर स्वीकार्य ढंग से अपने मामलों का निपटारा करवाने का अवसर देती हैं, बल्कि इनसे अदालतों पर से मुकदमों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।